

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में,

M/s Premium Infratech LLP, 1204,
Indra Prakash Building, 21, Barakhamba Road,
New Delhi-110001

क्रमांक

143

/एम0बी0

दिनांक

06/11/2024

विषय:-

Issuance of NOC of Aravali under notification dated 07.05.1992 for proposed Group Housing Colony on an area admeasuring 7.5 Acres land situated in the revenue estate of Village Badshahpur, Sector 70, Gurugram owned by (1) Sh. Amit Yadav son of Sh. Chhatar Singh (2) Sh. Piyush Yadav son of Sh. Ram Niwas (3) Sh. Sumit Yadav son of Sh. Chhatar Singh (4) Sh. Ram Niwas Son of Sh. Roshan Lal (5) Smt. Dayanand son of Roshan Lal (6) Smt. Sonu Yadav wife of Sh. Vijay pal (7) Sh. Parveen (8) Vipin Jainn of Sh. & (9) Sh. Vikas Jain sons of Sh. Subhash Chand Jain in collaboration with Premium Infratech LLP.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार, बादशाहपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

नायब तहसीलदार, बादशाहपुर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 521/आर0सी0 दिनांक 14.08.2024 के द्वारा रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित की है, जिसमें लिखा है कि मौजा बादशाहपुर उप-तहसील, बादशाहपुर जिला गुरुग्राम किला नं0 57//23(6-0), 24/1 (1-9), 24/2/2(2-18), 25/2(3-1), 58//21/1(1-1), 57//16(8-0), 24/2/1(1-13), 25/1(2-19), 58//20(8-0), 57//17/2/1(4-0), 82//4(8-0), 58//19/2/1(4-9), 19/2/2(2-9), 22/1(2-0), 21/2/1(4-1) किता 15 रकबा 60 कनाल 0 मरला का राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया, अवलोकन करने उपरांत बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त किला नं0 दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी तक कभी भी अराजी मुतनाजा की किस्म गैर मुमकिन पहाड़, गैर मुमकिन राड़ा, गैर मुमकिन बीहड़, बंजड़ बीहड़ या रुद्र नहीं रही है।
3. दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व पश्चात अराजी मुतनाजा की किस्म चाही रही है। राजस्व रिकार्ड अनुसार कोई इन्तकाल नजरसानी नहीं भेजा गया है।
4. वर्णित प्रार्थना पत्र में दर्शाई गई अराजी मुतनाजा मिसल हकीयत/चकबन्दी ता हाल कभी भी शामलात देह/पचायत देह/नगर पालिका/नगर निगम की मलकियत नहीं रही है।
5. अराजी मुतनाजा का किसी भी माननीय न्यायालय के मुकदमें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।
6. अराजी मुतनाजा SEZ (Special Economical Zone) का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।
7. प्रार्थना पत्र में वर्णित मु0 किला नं0 पर धारा 4-6 का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है।

Badshahpur, District Gurugram must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.

- d) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- e) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- f) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- g) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- h) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- i) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To The Conditions Mentioned Above And If There Is A Need For Cutting Trees, It Will Be Mandatory To Obtain Separate Permission.

अतः आपको नायब तहसीलदार, बादशाहपुर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में वर्णित शर्तों अनुसार M/s Premium Infratech LLP. को Village Badshahpur, Sub Tehsil Badshahpur, District Gurugram की उक्त वर्णित भूमि की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अवार्ड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी। जिसके लिए प्रार्थी कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी वर्णित भूमि पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पूर्व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में दर्शाई गई शर्त अनुसार Competent Authority से अनुमति लेकर इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करे क्योंकि Is Hereby Issued Subject To The Conditions Mentioned Above And If There Is A Need For Cutting Trees, It Will Be Mandatory To Obtain Separate Permission. अन्यथा सम्बन्धित कीला नम्बरान की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी।


कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम।